न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/34/2022	17-08-2022	13-04-2023

01- मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

-अपीलाण्ट

बनाम

01- सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

-रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार प्रतापगढ तहसील थानागाजी दिनांक 19.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 47/2020

उपस्थितः-

01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल -वकील अपीलाण्ट
02-श्री दीपक मीना -राजकीय अभिभाषक

-:निर्णयः-

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार प्रतापगढ, तहसील थानागाजी के आदेश दिनांक 19.08.2020 प्रकरण संख्या 47/2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम झिरी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 2729 रकबा 3.78 है0 में से 0.01 है0 किस्म गै0 मुमकिन पहाड की भूमि पर दो दुकान पक्का निर्माण एवं पानी की टंकी बना कर अतिक्रमण किये जाने पर मौके से बेदखली व पैनल्टी की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 आराजी खसरा न0 2729 में गांव के काफी व्यक्तियो ने मकान बना रखे है तथा उनके द्वारा रिहायश की जा रही है, अपीलान्ट का जो कब्जा है, अपीलान्ट के बुजुर्गो के समय से यानि 50-60 सालों से रिहायशी मकान बना कर चला आ रहा है। पहले कच्चे घर मकान बने हुये थे। अब अपीलान्ट ने करीब 20 साल पूर्व चारा एवं कृषि उपकरणो के रखने के लिए 2 पक्के कमरे, 1 जीना, आगे चबूतरा, टीनशेड डाल रखी है, मवेशी वगैराह के लिए एवं राहगीरो के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ भी बना रखी है, तथा सौर उर्जा का विधुत कनैक्शन भी ले रखा है, जो चालू है। अपीलान्ट के द्वारा छायादार पेड भी लगाये हुऐ है। उक्त रकबें के आस पास ही अन्य गांव वालो का कब्जा चला आ रहा है, गांव के अन्य व्यक्तियों जिन्होने मकान बना कर रिहायश कर रखी उनके खिलाफ पटवारी हल्का एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट नही की अपितु अपीलान्ट जो कि एक भूमिहीन गरीब व गुर्जर जाति का है, के खिलाफ पडौसी व्यक्ति जो कि अपीलान्ट से रंजिश रखता है, एवं उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

आराजी पर कब्जा करना चाहता है। विवादित आराजी खसरा न0 2729 रकबा 3.78 है0 में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होना बताया है, वह बिना पैमाईश के साबित नही हो सकता है, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अनेको नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि जहां पटवारी हल्का ने बडे रकबें में से अपीलान्ट अतिक्मी द्वारा कोई छोटे रकबे में अतिक्रमण किया हुआ है, तथा उसकी पहचान नही करवाई है, तो ऐसी रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा पारित किया गया निर्णय न्यायोचित नही माना है। आलोच्य निर्णय करने से पूर्व तहत अदालत ने विधिक प्रकिया का कतई पालन नही किया। जब अपीलान्ट ने नोटिस की तामील होने के बाद तारीख पेशी दिनाक 10.08.2020 को स्वयं तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश कर दिया था और अपनी उपस्थिति के आदेशिका में हस्ताक्षर भी कर दिये थे, उक्त तारीख को पीठासीन अधिकारी के कोरोना बीमारी में व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण अपीलान्ट से कहा गया कि आपको पुनः नोटिस देकर बुला लिया जावेगा, लेकिन ऐसा नही करके तहत अदालत ने पूर्ण साक्ष्य पेश करने का एवं सुनवाई का कोई अवसर नही दिया जो न्यायहित में आवश्यक था। दिनांक 14.07.2022 को पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ न्यायालय नायब तहसीलदार प्रतापगढ ने धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत निर्णय पारित किया जा चुका है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनाक 15.07.2022 को नकल हेतु तहत अदालत में आवेदन किया गया जो दिनांक 21.07.2022 को प्राप्त हुई। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह निर्णय की जानकारी नही होने के कारण हुई है। जो कि नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.08.2020 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 2729 रकबा 3.78 है0 में से 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन पहाड में दो दुकान पक्का निर्माण एवं पानी की टंकी बनाकर अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्मी को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने व पैनल्टी कायम की गई है। प्रकरण में वर्णित आराजी प्रतिबंधित भूमियो की श्रैणी में आती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2020 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 16.08.2022 को पेश की गयी है, जो करीब दो वर्ष के बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2020 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14.07.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा न0 2729 रकबा 3.78 है0 में से 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन पहाड पर अपीलान्ट का जो कब्जा है, अपीलान्ट के बुजुर्गो के समय से यानि 50–60 सालो से रिहायशी मकान बना कर चला आ रहा है। पहले कच्चे घर मकान बने हुये थे। अब अपीलान्ट ने करीब करीब 20 साल पूर्व चारा एवं कृषि उपकरणो के रखने के लिए 2 पक्के कमरे, 1 जीना, आगे चबूतरा, टीनशेड डाल रखी है, मवेशी वगैराह के लिए एवं राहगीरो के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ भी बना रखी है, तथा सौर उर्जा का विधुत कनैक्शन भी ले रखा है, जो चालू है। अपीलान्ट के द्वारा छायादार पेड भी लगाये हुऐ है। अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश करते आ रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का झिरी तहसील थानागाजी द्वारा दिनांक 20.07.2020 को सम्वत 2077 में आराजी खसरा न0 2729 रकबा 3.78 किस्म गै0 मु0 पहाड की भूमि में से 0.1 है0 भूमि पर दो दुकान पक्का निर्माण कर पानी की टकी बनाकर अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब पेश किया गया जिसमें स्वयं अतिक्रमी द्वारा अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया है, जो अतिक्रमण को सिद्व करता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन पहाड है, जो भारत सरकार की अधिसूचना 07.05.1992 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2020 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.08.2020 यथावतः रखा जाता है, निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)